बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981

[बिहार अधनियम सं० 1,1982][1]

राज्य में आयोजित कतिपय परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाये जाने के लिये दंडात्मक कार्रवाई और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।— जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में—

(i) "मान्यता प्राप्त परीक्षा" से अभिप्रेत है अनुसूची में प्रमाणित कोई भी परीक्षा और राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा संचालित परीक्षा, इसमें मूल्यांकन, सारणीकरण, परीक्षाफल का प्रकाशन तथा परीक्षा और परीक्षाफल के प्रकाशन से सम्बंधित सभी विषय शामिल है; और

(ii) किसी परीक्षा के सम्बंध में "अनुचित तरीके" से अभिप्रेत होगा किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना।

3. परीक्षाओं में अनुचित तरीके के प्रयोग या छल का प्रतिषेध।— कोई भी व्यक्ति अनूसूची में प्रमाणित किसी परीक्षा में या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में या किसी मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य में अथवा मान्यता प्राप्त परीक्षा से सम्बंधित किसी विषय में अनुचित तरीके या छल का सहारा नहीं लेगा।

4. अनुचित तरीके के प्रयोग में सहायता देना या उसके लिए दुष्प्रेरित अथवा षडयंत्र करना।— कोई भी व्यक्ति अनूसूची में प्रमाणित किसी परीक्षा में अनुचित तरीके के प्रयोग या छल में न तो सहायता देगा और न उसके लिए दुष्प्रेरित या षड्यंत्र करेगा।

5. प्रश्न-पत्र की प्रतियाँ और जानकारी देने पर प्रतिबन्ध।— ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्त्तव्य के आधार पर ऐसा करने के लिये विधिपूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र की प्रतियां वितरित करने के लिए निर्धारित समय के पूर्व—

(i) ऐसा प्रश्न-पत्र या उसका कोई अंश अथवा उसकी प्रति न तो प्राप्त करेगा और न उसे प्राप्त अथवा कब्जे में करने का प्रयत्न करेगा; या

(ii) ऐसी जानकारी न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा, जिसके बारे में वह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे प्रश्न-पत्र के बारे में है या उससे ली गई है अथवा उससे सम्बंधित है।

6. परीक्षा कार्य सौंपे गए व्यक्ति द्वारा कोई बात प्रकट करने पर रोक।— ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा से सम्बंधित कोई कार्य सौंपा गया हो, जहाँ उसे अपने कर्त्तव्य के आधार पर ऐसा करने की अनुमति हो वहां छोड़कर, इस प्रकार सौंपे गए कार्य के फलस्वरूप प्राप्त कोई

1. बिहार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23.1.1982 में प्रकाशित।

जानकारी या उसका अंश, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, किसी अन्य व्यक्ति पर न तो प्रकट करेगा या कराएगा अथवा उसे उससे अवगत कराएगा।

7. जाली प्रश्न-पत्रों पर रोक।— कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी प्रश्न-पत्र प्राप्त नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, वितरित नहीं करेगा या उसको अन्यथा प्रचार नहीं करेगा या करवायेगा जो किसी आगामी मान्यता प्राप्त परीक्षा में दिया जानेवाला या दिया जा सकने वाला प्रश्न-पत्र हो या होने के लिए तात्पर्यित हो।

8. परीक्षा केन्द्र आदि के नजदीक मटरगश्ती, आदि करने पर रोक।— जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों के आधार पर ऐसा करने के लिये अनुमत हो या जो व्यक्ति केन्द्र अधीक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो उसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति जिस तारीख या जिन तारीखों को किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन या सारणी-करण कार्य करे, उस तारीख या उन तारीखों को किसी भी परीक्षा केन्द्र में ऐसी परीक्षा के संचालन या मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य के समय और ऐसी परीक्षा या मूल्यांकन या सारणीकरण के प्रारम्भ के दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र के परिसर के भीतर अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहां मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य चल रहा हो या परीक्षा केन्द्र या मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य-स्थल से पांच सौ गज की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में, निम्नलिखित कोई भी काम नहीं करेगा :—

(क) मटरगश्ती करना;

(ख) परीक्षा से सम्बंधित कोई भी कागज-पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना या वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना;

(ग) ऐसे अन्य कार्य-कलाप में संलग्न होना, जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो;

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के सम्बंध में लागू नहीं होगी।

9. परीक्षा, आदि के समुचित संचालन से संबद्ध व्यक्ति को सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने से इंकार करने पर रोक।— जिस व्यक्ति को किसी परीक्षा का निरीक्षण या अधीक्षण या मूल्यांकन कार्य, सारणीकरण परीक्षाफल का प्रकाशन तथा परीक्षा और परीक्षाफल के प्रकाशन से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो वह सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने से इन्कार नहीं करेगा।

10. शास्ति।— जो भी व्यक्ति धारा 3 से 9 तक के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह अधिक-से-अधिक छह महीने और कम-से-कम एक महीने के कारावास या दो हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा।

11. अपराध का स्वरुप और विचारण।— इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी जिन्हें सम्यक एवं उचित रुप से प्राधिकृत किया गया हो, इनका निपटारा संक्षिप्त विचारण द्वारा करेंगे।

12. मामले की छानबीन।— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मामलों की छान बीन आरक्षी उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

13. अपील।— इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास की जाएगी।

14. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति।— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी परीक्षा

को अनुसूची में जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी ।

15. निरसन और व्यावृत्ति ।—(1) परीक्षा संचालन तृतीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश संख्या 171, 1981) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

अनुसूची

[देखें धारा 2 (i)]

(1) बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन संचालित परीक्षा ।

(2) राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन संचालित परीक्षा।

(3) बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा।

(4) बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा।

(5) स्नातक पूर्व इंजीनियरिंग एवं विज्ञान पाठ्यक्रम (अंडर-ग्रैजुएट ईन्जीनियरिंग ऐंड साईंस कोर्स) में प्रवेश के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा।

(6) मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिये जांच (टेस्ट) परीक्षा।

(7) सेवा में भर्ती के लिए राजस्व बोर्ड, बिहार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या सहकारी समितियों द्वारा संचालित परीक्षाएँ।

(8) बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाएँ।

(9) मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएँ।

(10) संस्कृत बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएँ।

(11) नेतरहाट पब्लिक स्कूल के लिये प्रवेश परीक्षा।

(12) छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षाएँ।

(13) किसी पाठयक्रम में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश जांच परीक्षा (इंट्रेस टेस्ट) ।

THE ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION ACT, 1987[1]

[No. 52 of 1987]

[23rd December, 1987]

An Act to provide for the establishment of an All India Council for Technical Education with a view to the proper planning and co-ordinated development of the technical education system throughout the country, the promotion of qualitative improvements of such education in relation to planned quantitative growth and the regulation and proper maintenance of norms and standards in the technical education system and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

[**Statement of Objects and Reasons.**—The All India Council for Technical Education (AICTE) was set up in 1945 by a Government resolution as a National Expert Body to advise the Central and the State Governments for ensuring the co-ordinated development of technical education in accordance with approved Standards. During the first three decades the Council functioned quite effectively and there was phenomenal development of technical education in this period. However, in recent years, a large number of private engineering colleges and polytechnics have come up in complete disregard of the guidelines, laid down by the AICTE. Most of these institutions have serious deficiencies in terms of even the rudimentary infrastructure necessary for imparting proper education and training. Barring some exceptions, there is scant regard for maintenance of educational standards.

2. Taking into account the growing erosion of standards, the Council at its meeting held in 1981 came to the conclusion that a stage had been reached when it should be vested with statutory powers to regulate and maintain standards of technical education in the country. In pursuance of these and other recommendations, a National Working Group was set up in November, 1985 to look into the role of the AICTE. The National Working Group recommended that in order to enable the AICTE to play its role effectively, it shall have to be vested with necessary statutory authority. The National Policy on Education, 1986, also stipulated that the AICTE will be vested with statutory authority for planning, formulation and the maintenance of forms and standards, accreditation, funding of priority areas, monitoring and evaluation, maintaining parity of certificates and awards and ensuring the co-ordinated and integrated development of technical and management education.

3. The Bill seeks to provide statutory powers to All India Council for Technical Education to ensure:

(i) proper planning and co-ordinated development of technical education system throughout the country,

(ii) regulation of qualitative improvement of technical education in relation to planned quantitative growth, and

(iii) regulation of the system and proper maintenance of norms and

1. Received the assent of the President on December 23, 1987 and published in the *Gazette* of India, Extra., Part II, Section 1. dated 28th December, 1987.